ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 13, Issue 04, April 2023 Impact Factor 8.059 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

मानवाधिकारों की अवधारणा एवं भारतीय मानवतावादी अवधारणा

डॉ. सोनू लाल मीना
सह–आचार्य (राजनीति विज्ञान)
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गंगापुर सिटी (राजस्थान)

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अनुसार 1948 में हुई। इस घोषणा में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय विश्व स्तर पर मानाधिकरों के उलंघन की बहुत सारी घटनाओं को देखते हुए विश्व स्तर के नेताओं में इनके संरक्षण के लिए किसी ऐसी व्यवस्था करने की सोच विकसित हो गई जिसका दायरा किसी देश एवं समाज तक सीमित न होकर विश्व के सम्पूर्ण समुदाय तक हो। सन 1941 में अटलांटिक चार्टर के माध्यम से चार्टर के सदस्य देशों के मनुष्यों के लिए शान्ति का आश्वासन दिया गया। इसी के साथ अमरिकी कॉग्रेस को दिये गये संदेश में राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया भाषण एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म तथा विश्वास की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता तथा भय से स्वतंत्रता ये सभी स्वतंत्रता विश्व के सभी देशों में सभी को प्राप्त हुई ।

1942 का वाशिंगटन सम्मलेन, 1943 का मस्कवा सम्मेलन में भी इन भावनाओं को ध्यान में रखा गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ही अनेक सम्मेलनों में मित्र राष्ट्रों के द्वारा मानवाधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं के वारे में चर्चाऐं की गई। 1944 के डम्वार्टन के ओक्स सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि विश्व शान्ति और अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा को कायम रखने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। जिसे विश्व की चार महा शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया। जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं का हल ढूढंना था। 25 अप्रेल से 26 जून 1945 से 45 राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मानवाधिकारों के साथ अन्य अधिकारों का भी प्रावधान किया गया। अधिकारों के दस्तावेज पर सदस्य देशों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किये गये।

इस संस्तुति के आधार पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। मानवाधिकारों को व्यवाहरिकता में स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मानवाधिकार अर्थात जीवन स्वतंत्रता और समानता का अधिकार के बारे में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से पूर्व 1929 में अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्थान द्वारा पहले ही इस क्षेत्र में उद्देश्य निश्चित कर लिये थे। चार्टर के अनुच्छेद 55 के अनुसार मूलवंश लिंग, भाषा धर्म के आधर पर विभेद करने को निषिद्ध किया गया है तथा

मानवाधिकारों मूल स्वतंत्रताओं के प्रति विश्वव्यापकता आदि के पालन को सम्मलित किया गया है। चार्टर में आर्थिक एवं सामाजिक परिसर को महत्व दिया गया है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए परिषद ने 16 फरवरी 1946 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। वर्तमान में आयोग में 32 सदस्य है। आयोग ने अपना कार्य जनवरी 1947 से प्रारम्भ किया। आयोग में अपने प्रथम सत्र में विभेद निवारण और अल्पसंख्यक संरक्षण उपयोग की स्थापना की। जो स्वतंत्र विशेषज्ञों का निकाय है। आयोग ने इसी सत्र में अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र प्रारूप तैयारी प्रारूप व समिति का गठन किया। आयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा को सम्मलित किया जाता है। आयोग द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का प्रारूप तैयार किया जो की 7 दिसम्वर 1948 को स्वीकार कर लिया गया। जिसको महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को अंगीकृत कर लिया । 48 देशों में घोषणा को स्वीकार किया जबकी 8 राज्य इस घोषणा से अलग रहें । इसी घोषणा का महत्व इसकी प्रस्तावना से प्रदर्शित होता है। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों के लिए आवश्यक होता है कि उन्हें उन प्रावधानों एवं कानूनों से परीचित कराया जायें जो की मानवाधिकरों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर बनायें गये है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948— 10 दिसम्बर 1948 को स्वीकार्य की गई सार्वभौमिक घोषणा के अन्तर्गत प्रस्तावना के अलावा कुल 30 अनुच्छेद है। यह सार्वभौमिक घोषणा सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए मानवाधिकारों के स्तर को बनाये रखने के लिए एक सामान्य मानक के रूप में माना जाता है। मानवाधिकार मानव परिवार के सभी सदस्यों की जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अहस्तान्तरणीय अधिकार की स्वीकृति ही विश्व में शान्ति न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। घोषणा की मान्यता है कि मानवाधिकारों की उपेक्षा और घृणा के परिणाम स्वरूप ही मानव जाति ने कई घृणित कार्य किये है। जिनसे मनुष्य ने बोलने की आजादी व विश्वास को पाया है। जिसमें डर व कमी के लिए कोई भी स्थान नही है। जन साधरण की सबसे बडी आकांक्षा स्वतंत्र रूप से बोलना और अपने विश्वास का स्वेच्छा से संचालन करना है। चूँकि यह अत्यंत जरूरी है। कि मानवाधिकारों की रक्षा कानून के द्वारा की जानी चाहिए अन्यथा मनुष्य को जुल्म और अत्याचार के खिलाफ बगावत का सहारा लेना पडेगा। सदस्य राष्ट्रों के बीच मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना और उनको बढाना सबसे महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा मानव के मूलअधिकारों स्त्री और पुरूष की समानता के अधिकार सामाजिक प्रगति और उच्च जीवन स्तर को लाने तथा इन्हें बढाने का निश्चय किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए सदस्य देशों ने वह प्रतिज्ञा की है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर मानवाधिकारों और मूलभूत आजादियों के प्रति संसार भर में सम्मान करने में वृद्धि करें । महासभा द्वारा मानवाधिकारों की इस घोषणा को सभी

लोगों और देशों के लिए उपलब्धि को साझा घोषित किया है। इस उद्देश्य के साथ की प्रत्येक व्यक्ति समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा वह प्रयत्न करे कि इन अधिकरों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में 30 अनुच्छदों का उल्लेख किया गया है। जिनके अन्तर्गत समस्त मानवाधिकारों का उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद–1 सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान है और सम्मान से जीने का अधिकार रखते है। सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ वन्धुता का भाव रखे।

अनुच्छेद–2 प्रत्येक व्यक्ति सार्वभौमिक घोषणा के सभी अधिकार एवं स्वतंत्रता रखते है। उक्त किसी प्रकार का भेद भाव नहीं है। जैसे– जाति, रंग, लिंग, भाषा धर्म राजनीतिक और दूसरे राष्ट्रीय सामाजिक उत्पति संपति जन्म और अन्य आधार से कोई भेद भाव नहीं किया जा सकता ।

अनुच्छेद –3 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त है।

अनुच्छेद–4 किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता । दास कम व्यापर किसी भी रूप में हो वह निषेद है।

अनुच्छेद–5 किसी को भी अधीन नहीं रखा जा सकता और न ही उसके साथ क्रूर या अमानवीय व्यवहार किया जा सकता ।

अनुच्छेद–6 प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद–7 सभी लोग कानून के समक्ष समान है और बिना भेद भाव समान रूप से कानूनी सुरक्षा प्राप्त कर सकते है।

अनुच्छेद–8 प्रत्येक व्यक्ति को संविधान और कानून से प्राप्त मौलिक अधिकारों को बनाये रखने का हक है। भेद भाव होने पर वह कानून की शरण ले सकता है।

अनुच्छेद–9 कोई भी किसी को भी पराधीन नहीं कर सकता ।

अनुच्छेद–10 सभी को पूर्णत समान रूप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा हो।

अनुच्छेद–11 खुली उदालत में मुकदमा चलाकर सजा मिले बिना जिसमें उसे अपने बचाव की सभी आवश्यक सुविधायें दी गई हो प्रत्येक व्यक्ति निरदोष समझा जावेगा। किसी भी ऐसे कार्य या गलती के लिए किसी व्यक्ति को दोषी न ठहराया जाये तो उस समय अपराध में माना जाता रहा हो। जब तक कार्य

या गलती हुई हो और न उससे अधिक सजा दी जा सकेगी जो उस समय कानून के अनुसार मिल सकती हो जब वह गलती हुई थी।

अनुच्छेद–12 किसी के एकान्त जीवन परिवार घर या पत्र व्यवहार के मामले में अनुचित हस्तक्षेप न किया जायेगा और न उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर ही किसी प्रकार का आघात किया जायेगा और अनुचित हस्तक्षेप के विरूद्ध कानूनी सरक्षण का अधिकार रहेगा।

अनुच्छेद–13 प्रत्येक व्यक्ति अपनी राज्य की सीमा के अन्दर इच्छा पूर्वक अपने जाने और मनचाहे स्थान पर बसने का अधिकारी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को छोडकर दूसरे देश जाने और वहीं से लोटने का अधिकार है।

अनुच्छेद–14 प्रत्येक व्यक्ति को सताये जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार है। इस अधिकार का लाभ इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर राजनैतिक अपराधों से सम्बन्धित है या जो संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरूद्ध कार्य है।

अनुच्छेद–15 प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी राष्ट्र विशेष को नागरिकता का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वचित न किया जायेगा। या नागरिकता का परिवर्तन करने से मना न किया जायेगा।

अनुच्छेद–16 बालिग स्त्री पुरूष को बिना किसी जाति राष्ट्रीयता या धर्म की रूकावट के आपस में विवाह करने और परिवार की स्थापना करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन में तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार है। विवाह का इरादा रखने वाले स्त्री पुरूष की पूर्ण स्वतंत्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा। परिवार समाज की स्वभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है। उसे समाज और राज्य द्वारा सरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद–17 प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ सम्पति रखने का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी सम्पति से वंचित नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद–18 प्रत्येक व्यक्ति को विचार अन्तर्आत्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत अपना धर्म या विश्वास बदलने और अकेले या दूसरों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप से नीति तौर पर अपने धर्म या विश्वास का शिक्षा किया उपासना तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद–19 प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा का अधिकार है। उसके अन्तर्गत बिना हस्तक्षेप के तय रखना और किसी भी माध्यम के जरिये तथा सीमाओं की परवाह न करके किसी की सूचना और धारणा का अस्प्रेषण ग्रहण तथा प्रदान सम्मलित है।

अनुच्छेद–20 प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतंत्रा का अधिकार है। किसी को भी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजवूर नहीं किया जा सकता ।

अनुच्छेद–21 प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुने गये प्रतिनिधियों के जरिये भाग लेने का अधिकार है। नौकरी सरकार की सत्ता का आधार जनता की इच्छा होगी चुनाव मतदान मताधिकार द्वारा होगी।

अनुच्छेद–22 समाज के प्रत्येक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतंत्र विकास तथा गौरव के लिए जो राष्ट्रीय का अन्तराष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन और साधनों के अनुकूल हो अनिवार्यतः आवश्यक आर्थिक सामाजिक और सास्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है।

अनुच्छेद–23 प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार सुविधा जनक परिस्थति संरक्षण समान मजदूरी आजीविका का प्रबन्ध श्रम जीवि संघ बनाने का अधिकार है।

अनुच्छेद–24 प्रत्येक व्यक्ति को विभाग और अवकाश का अधिकार है। इसके अन्तर्गत काम के घण्टों की उचित हदबंदी और समय –'समय पर मजदूरी सहित छुटिटयॉं सम्मलित है।

अनुच्छेद–25 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्तर स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। वृद्ध विधवा और जच्चा बच्चा को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

अनुच्छेद–26 शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होगा प्रारम्भिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य किया जायेगा। व्यक्ति का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होगा। समाज में सद्भावना बनाये रखना शिक्षा का उद्देश्य होगा। माता–पिता को हक है कि उसके बच्चों को कैसी शिक्षा मिले।

अनुच्छेद–27 प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सामाजिक जीवन में हिस्सा लेने और कलाओं का आनन्द लेने वैज्ञानिक उन्नति आदि का अधिकार है।

अनुच्छेद–28 प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है। जिसमें इस घोषणा में उल्लेखित अधिकारों और स्तन्त्रता को पूर्णतया प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद–29 प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के प्रति कर्तव्य है कि जिसमें उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास हो सके अधिकार स्वतंत्रता का उपयोग एवं दूसरे का आदर जरूरी है। सामाजिक दायित्व नैतिकता एवं संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों का सम्मान किया जाना जरूरी है।

अनुच्छेद–30 इस घोषणा में उल्लेखित किसी भी बात का अर्थ वह नहीं लगाना चाहिए। जिससे प्रतीत हो की किसी भी राज्य समूह या व्यक्ति का किसी ऐसे प्रकरण में संलग्न होने या करने का अधिकार जिसका उद्देश्य वही बताये गये अधिकारों और स्वतंत्रा में किसी का विनाश करना है।

भारत की मानवतावादी अवधारणाः–

मानव सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है अतः मानवीय हितों से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक अवधारणा मानवीय मूल्यों की परिधि में ही समाविष्ट है। आज जिन संसाधनों नागरिक अधिकारों की चर्चा है उनमें प्राय ऐसे विषय है जो वस्तुत व्यक्ति निष्ठ न होकर नैसर्गिक अधिकार का स्वरूप है। इन नैसगिंक अधिकारो को ही देशकाल और राष्ट्रीय तत्वों के अन्य सन्दर्भो में विशेष अधिकार कहकर घोषित किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी 1997–98 की रिपोर्ट निर्भत की हेतु रिपोर्ट का वह तथ्य ध्यातव्य है कि देश के विशिष्ट नागरिक अभी भी पाश्चात्य संस्कृति में रमे हुए है। सभ्यता की एक विशेषता यह है कि वहॉ समाज नाम की कोई अवधारणा ही नहीं है। वहा केवल व्यक्ति तथा राज्य में ही राष्ट्र समुत्थित हो जाता है। जबकि भारत में प्रधानता व्यक्ति की नहीं कुल वंश जाति पंथ व्यापर संगठन तथा ग्राम जैसे समाजों की प्रधानता है। समाज की ये इकाईया विधवाओं विपन्नों बृद्धों तथा विकलांगों की सूरक्षा का दायित्व लेती थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र में तथा अनेक राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन हो चुका है तथापि इन आयोगों ने ऐसी सामाजिक इकाईयों की पूर्ण स्थापना की दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया। आयोगों का प्रयास केवल सम्पूर्ण दायित्व शासन पर डाल देने का रहा है। आयोग ने शासन को ही एक मात्र मसीहा माल लिया है। आयोगों का सार्थक पक्ष यह है कि जनता को राज्य के सामान्य अधिकारियों के आतंक के विरूद्ध अभिव्यक्ति का माध्यम प्राप्त हो गया है। पुलिस का आतंक सर्वविदित है। अन्वेषण के क्रम में पुलिस यातनाओं के कारण अपराधी या संदिग्ध व्यक्तियों की आकंडे वृद्धि पर है। आयोग ने ऐसे अनेकों मामलों में हस्तक्षेप कर कीर्तिमान स्थापित किया है तथापि दीन दुखियों तथा बन्धुआ श्रमिकों की मुक्ति का दायित्व शासन का ही माना जा रहा है। यदि किसी श्रमिक के मात्र मंदिरापान के लिए ऋण लेकर स्वयं को बन्धुआ कर लिया है तो भी यह दायित्व राज्य का ही रहेगा कि शासन उसके ऋण को समाप्त कर दे तथा उसे पुनस्थापित भी करे। वह व्यक्ति उत्तरदायी नहीं माना जा सकता तथा यदि शासन द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से वह पुनः मदिरा क्रय करे तो इसे भी उसका मानवाधिकार ही माना जायेगा।

मानसिक चिकित्सालय में न्यूनतम सुविधाओं का अभाव आयोग इसकी आलोचना भी करता है किन्तु विखरते परिवारों तथा परिवारों में वृद्धो विधवाओं आदि के लिए सामाजिक चेतना से कोई मानसिक परिवर्तन हो सके ऐसा प्रयास किसी और से नहीं हो रहा है। राज्य के अधिकाश अन्य तन्त्रों की भांति ही आयोग की रूपि गरीवी को समाप्त करने में कम तथा गरीबी के उन्मूलन के नाम पर राज्य के इन तन्त्रों के अधिकारी की वृद्धि में अधिक है। गरीबी के उन्मूलन के नाम पर स्वयं गरीबी अधिकारियों के लिए अच्छा आय का स्त्रोत है। इसी मानसिकता के कारण चारा घोटालों जैसे काण्ड से बेचारों को भी चूसा जा रहा है।

मानवाधिकारों की प्रणीत में शिक्षा की अनिवार्यता आवश्यक है। यदि कोई पिता अपने बालक को पाठशाला नहीं भेजता तो उसे कारागार में डाल दिया जाये। परिवार के स्वतंत्र अधिकारों का हनन भी मानवाधिकार की सुरक्षा का आवश्यक घटक है। किन्तु शिक्षित बालक को यदि नौकरशाही में भी स्थान प्राप्त न हो सके तो यह चिन्ता का विषय नहीं है। ये तो भारतीय परम्परा का एक चिरपरिचित सूत्र यह है हक 'माता शत्रु पिता बेरी ये बालों न पठित किन्तु आयोग का बल ऐसी विशुद्ध भारतीय सांस्कृतिक शिक्षा पर नहीं है। वेद तथा भारतीय शास्त्रों की शिक्षा आयोग के मत में शिक्षा नही है वरन नौकरी द्वारा चलाई जा रही नौकरों का उत्पादन करने वाली शिक्षा की अनिवार्यता पर ध्यान केन्द्रित रहा है। जो किसान पोराणिक कथाओं का श्रवण कर खेती करता है। वह अशिक्षित है किन्तु अनियोजित किशोर जो दिनभर नौकरियों के आवेदन भरना रहकर राह में किशोरियों से छेडछाड करता है वह शिक्षित है।

आयोग ने अच्छे शासन के लिए सिविल सोसायटी अर्थात स्वयंसेवी संगठनों की सहायता का सुझाव दिया है किन्तु अन्य किसी सामाजिक व्यवस्था प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आयोग का नहीं रहा। तात्पर्य यह है कि कुल जाति देश परम्परा या वशानुमत व्यवसाय पथ व्यापार मण्डल तथा गांव सभी अनसिविल की कोटी में आते है। वास्तविकता यह है कि सिविल कहलाने वाली ये सोसायटियों अधिकांश पाश्चात्य देशों द्वारा घोषित है। जो देश को भीतर से खोखला करने में लगी है। पाश्चात्य न्याय विधा में पारंगत आयोग के सदस्यों को यह तथ्य विस्मृत रहा है कि पाश्चात्य देशों मे मानवाधिकारों की दुहाई इसलिए दी जाती है कि वहॉ राज्य तथा नागरिक के मध्य जाति कुल आदि का कोई स्थान नहीं है। भारत में ये पाश्चात्य मान्यताऐं न सार्थक है और न सफल ।

भारतीय संस्कृति में अधिकारों की कही चर्चा ही नहीं है। अधिकार शब्द का प्रयोग केवल श्रीमदभगवत गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते के रूप में हुआ है जहॉ कर्तव्य को अधिकार की संज्ञा दी गई है। मानवाधिकारों के आधुनिक उहापोह में परिवार विशृखल तथा किशोर उच्छृखल हो रहे है। मानवाधिकारों की तालिका से कर्तव्यों का तो सर्वधा पलायन ही हो गया है। कर्तव्यों का लोप ही अधिकारों के हनन के लिए उत्तरदायी है।

सन्दर्भ सूचीः–'

1. चतुर्वेदी, डॉ0 मधु, मानवतावादी अवधारणा, राज पब्लिशिंग हाउस जयपुर 2005 पेज नं0 2
2. मिश्रा, पि0के0 हूमन राईट्स एण्ड कोन्स्टीट्यूशनल प्रोविजन्स, पेज 23
3. जोशी, आर0पी0, मानवाधिकार एवं कर्तव्य, अभिनव प्रकाशन, अजमेर 2004, पेज 164–165

4. मिश्रा एवं दूबे, विवके, श्यामाचरण, मानवाधिकारों का अन्तर्गराष्ट्रीय विधेयक 1948—1985, नेशनल पब्लिशिंग हाउस पेज—15

5. मीना, मीना डॉ0 आलोक कुमार एवं मीनाक्षी, मानवाधिकार उत्पति क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, गौत्तम बुक कम्पनी जयपुर 2013, पेज 106—107